न्यायालय
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बनेड़ा

कल्याण / देवकरण ब्राह्मण
नम्बर दर मुकदमा 147/14
किस्म मुकदमा 212 RT Act

01.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम महुआखुर्द में पेश हुई। विपक्षी कम 01, 2/1, 03 उपस्थित। विपक्षीगण कम 01 लगायत 04 की और से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुतशुदा होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है। उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा प्रा0पत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। जबकि इसके विरूद्ध विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के पिता एकलिंग जी की स्वअर्जित सम्पति नही है, बल्की मौरूशी जायदाद होने से वादी तन्हा बतौर वारिस एकलिंग जी की सम्पति में हक हिस्सा कायम नही किया जा सकता है। उक्त आराजीयात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 की पैत्रक मुस्तरका जायदाद है। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में जो सिजरा वर्णित किया उसके अनुसार विवादित आराजीयात काशीराम जी की मृत्युपरांन्त ज्येष्ठ पुत्र एकलिंग जी होने से बतौर कर्ता संयुक्त परिवार एकलिंग जी के नाम दर्ज हुई, जबकि काशीराम जी के दुसरे पुत्र लालुराम का भी उक्त आराजीयात में समान हक हिस्सा निहित था। मौके पर कब्जा काश्त लालुराम जी का बदस्तुर कायम हुआ। किन्तु काशीराम जी की मृत्यु के पश्चात राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के पिता एकलिंग जी के नाम दर्ज रिकार्ड होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार वादी के पिता एकलिंग जी विवादित आराजीयात के तन्हा खातेदार काश्तकार नही थे। काशीराम के दोनो पुत्र शामिल शरीक रहने व संयुक्त परिवार होने से कर्ता सयुंक्त परिवार की हैसियत से एकलिंग के नाम दर्ज हुई थी। और कालान्तर में उक्त भुमि

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बतौर काशीराम जी के पौत्र होने से दर्ज राजस्व रेकार्ड हुई। जिसका स्पष्ठ तौर पर उल्लेख भूप्रन्बध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम फर्द ईख्तलाफ ईन्द्राज खसरा परिशोधन पत्र संख्या 13 से होकर उसी अनुसार उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लालुराम के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड हुई। जो सिजरा प्रतिवादीगण की और जवाब प्रार्थनापत्र में उल्लेखित है उसकी ताईद भात की पोथी से होती है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण द्वारा पैशशुदा जवाब प्रार्थनापत्र व समर्थन में शपथपत्र तथा सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अवलोकन/परिक्षण किया गया। एंव बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथनो यह सिद्ध कराने में सफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 लालुराम के पुत्र है और लालुराम स्व. काशीराम जी के छोटे पुत्र थे और एकलिंग जी के छोटे भाई थे, एंव जो सिजरा प्रतिवादीगण की और जवाब प्रार्थनापत्र में उल्लेखित है उसकी ताईद भात की पोथी से होती है। और भूप्रन्बध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम फर्द ईख्तलाफ ईन्द्राज खसरा परिशोधन पत्र संख्या 13 से भी इसका प्रमाणिकरण होना सिद्ध होता है। और इसके विपरीत प्रार्थी की और से अप्रार्थीगण के अभिकथनो अथवा प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई ठोस खण्डन भी रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। यानि इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का स्थगन दिया जाना विधि विरूद्ध होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित कर, प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो तथा मूल वाद संख्या 285/2011 के साथ नत्थी रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)